न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0(नवगठित)हरदोई ।

सत्र परीक्षण सं0–460/16

सरकार.................बनाम.............दिनेश पवार

आरोप

मैं, राजेश कुमार–V अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 हरदोई आप अभियुक्तग– **दिनेश पवार** को निम्नवत आरोपित करता हूं :–

यह कि दिनांक 04–04–15 को समय 4.00 बजे स्थान बल्देवपुरवा थाना बे० गो० जिला हरदोई आप पुलिसकर्मियों द्वारा पकड़े गए और मौके पर आपके कब्जे से 31 लीटर शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए। इस प्रकार आपने आबकारी अधि० की धारा 60 (2) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आपके कब्जे से मौके पर पीने के रूप में अपायकर यूरिया खाद अपमिश्रित 31 लीटर शराब बरामद हुयी तथा 250–250 ग्राम यूरिया खाद भी बरामद हुयी। इस प्रकार आपने भा0 दं0 सं0 की धारा 272 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आपका विचारण उपरोक्त आरोप के अंतर्गत इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

(राजेश कुमार–V)

दिनांकः 28.09.2016 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0(नवगठित) हरदोई।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया । अभियुक्त ने आरोप को अस्वीकार किया तथा परीक्षण की मांग की ।

(राजेश कुमार–V)

दिनांकः 28.09.2016 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0(नवगठित) हरदोई।